भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 108

21.07.2025 को उत्तर के लिए

कर्नाटक के माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की मौत

108. श्री ए. राजा :
प्रो. सौगत राय :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कर्नाटक के माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में शावकों सहित पांच बाघ मृत पाए गए;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या बाघों की मौत की जांच के लिए कोई विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया था;
(घ) यदि हां, तो क्या उक्त टीम द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है;
(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो उक्त रिपोर्ट कब तक तैयार/प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और
(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) कर्नाटक के माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य में चार शावकों के साथ एक मादा बाघ मृत पाई गई।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कर्नाटक में बाघों की मृत्यु से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ङ) जांच के दौरान इकट्ठे किए गए साक्ष्यों के आधार पर एसआईटी ने यह निष्कर्ष निकाला कि तीन लोगों के समूह ने प्रतिशोध के लिए एक मवेशी के शव में कीटनाशक कार्बोफ्यूरान मिलाकर बाघों की हत्या की, जिन्हें 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया था।

एसआईटी ने अतिरिक्त सुरक्षा और वित्तीय सहायता के लिए माले महादेश्वर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का सुझाव दिया है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (डब्ल्यूएलपीए), 1972 के प्रासंगिक उपबंधों के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ एसआईटी ने फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों, कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने, स्थानीय समुदायों के साथ मतभेद समाधान कार्यनीतियों, शैक्षिक प्रचार, पर्यावास और शिकार स्रोत उपलब्ध करवाने के अलावा निगरानी प्रोटोकॉल विकसित करने की सिफारिश की।

(च) भारत सरकार ने बाघों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (पर्यटन और बाघ परियोजना के लिए मानकीकृत मानक) दिशानिर्देश, 2012 को अधिसूचित किया है, साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परामर्शी और मानक संचालन प्रक्रियाएं भी जारी की हैं। उक्त मामले में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रासंगिक उपबंधों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

*****